न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74/2017

1 बाबुलाल पुत्र स्व. राजकुवार जाति स्वामी निवासी ढाणी टोली तन रामकुवारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मुलचन्द पुत्र रामकुवार
2 राधेश्याम पुत्र मुलचन्द
3 मनोज पुत्र मूलचन्द
4 जगदीश पुत्र रामकुवार जाति समस्त स्वामी निवासी ढाणी टोली तन रामकुवारपुरा तहसील खेतड़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ. धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांकित 15.09.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी
मु.नं. 33/2017 मुकदमा उनवानी बाबुलाल वगे. बनाम मूलचन्द वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचंद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1883 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 1884 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.11 हैक्टेयर वाके ग्राम रामकुवारपुरा तहत तहसील खेतड़ी में स्थित है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 व भूमिधारी को पक्षकार बनाकर एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.09.2017 को खारिज कर दिया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय जैर बहस पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आवश्यक प्रावधानों की अनदेखी की है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बिन्दुओं का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध करने मे कानुनी गलती की है। अपीलान्टस विवादित जमीन के रिकार्डेड सहखातेदार है। उक्त तथ्य को विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में स्वीकार किया है। विवादित जमीन संयुक्त खातेदारी की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में लिखा है कि दावा में सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समख सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में सिर्फ उन्हीं पक्षकारों को दावा में पक्षकार बनाया जायेगा जो सह खातेदार के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करते है या कानून की अवहेलना करते है। कानून से सिर्फ विभाजन के वाद में ही सभी सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। इस प्रकार विचारण न्यायालय का उपरोक्त आधार कानून से सही नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय जैर बहस में लिखा है कि एक सह खातेदार दुसरे सह खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश नहीं कर सकता। जबकि कानून की यह स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन का खातेदार नहीं है वह व्यक्ति खातेदार के विरूद्ध सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश नहीं कर सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने कानून को नजर अंदाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस विवादित जमीन के रिकार्डेड सह खातेदार है। सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जिसमें सभी सह खातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। कानून से एक सह खातेदार दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर सकता है। कानून से बिना विधिवत विभाजन के किसी एक सह खातेदार को किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार पृथम दृष्टया मामला अपीलान्टस के हक में है सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलान्ट के हक में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनूं)
सत्यमेव जयते

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के हाल खसरा नम्बर 338 ग्राम रामकुमारपुरा से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण के द्वारा सभी सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। केवल सह खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व ही अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के पैत्रिक हक के अनुसार सह स्वामी है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उनके हिससे के भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। समस्त अंशधारी भूमि पर काबिज होते है। अतः इनमें से किसी एक को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता। जब अप्रार्थी संख्या 1 सह खातेदार राजसव रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 से प्रमाणित है, तो एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्व नहीं ला सकता। अधिक से अधिक वह बंटवारा करा कर अपना हिस्सा अलग करा सकता है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति व सुविधा संतुलन नहीं है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के हाल खसरा नम्बर 338 ग्राम रामकुमारपुरा से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण के द्वारा सभी सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। केवल सह खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व ही अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के पैत्रिक हक के अनुसार सह स्वामी है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उनके हिससे के भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। समस्त अंशधारी भूमि पर काबिज होते है। अतः इनमें से किसी एक को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता। जब अप्रार्थी संख्या 1 सह खातेदार राजसव रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 से प्रमाणित है, तो एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध नहीं ला सकता। अधिक से अधिक वह बंटवारा करा कर अपना हिस्सा अलग करा सकता है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति व सुविधा संतुलन नहीं है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राज़स्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)